Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपियो अजीत उर्फ हप्पू, विकास, प्रवेश उर्फ हप्पी, दीपक को हुई कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1.अजीत उर्फ हप्पू पुत्र महेन्द्र, 2.विकास पुत्र महक सिंह, 3.प्रवेश उर्फ हप्पी पुत्र महक सिंह व 4. दीपक पुत्र योगेन्द्र निवासीगण ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बडौत पर मु0अ0सं0 63/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 17.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों को निम्नलिखित सजा से दण्डित किया गया है-

1.अजीत उर्फ हप्पू पुत्र महेन्द्र (जोन स्तर पर टोप 10 अपराधी) को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

2.विकास पुत्र महक सिंह को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

3.प्रवेश उर्फ हप्पी पुत्र महक सिंह को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

4. दीपक पुत्र योगेन्द्र को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री इन्द्रपाल एडीजीसी जनपद बागपत

मु0आ0 नीटू कुमार कोर्ट पैरोकार थाना बडौत

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी रोहित को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

श्री दिनेश कुमार शर्मा एडीजीसी जनपद बागपत

मुख्य आरक्षी रवि कुमार कोर्ट पैरोकार थाना रमाला

अवगत कराना है कि वर्ष 2019 में अभियुक्त रोहित पुत्र राजवीर निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा 02 किलो 400 ग्राम गांजा तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 07/2019 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 17.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रोहित को दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट   दिनाँक 17.03.2026

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 69/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाऐ। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

चाँद उर्फ तसव्वर पुत्र अख्तर निवासी ग्राम शाहजहाँपुर थाना दोघट जनपद बागपत उम्र लगभग 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 रजत कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

2-है0का0 464 सुधीर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत   दिनाँक 17.03.2026

बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-रमेश पुत्र मंगल निवासी ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।

2-अरमान पुत्र सलीम कुरैशी निवासी सर्कुलर रोड बडौत कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम।(01 वारंटी)

2 थाना बडौत पुलिस टीम। (01 वारंटी)